कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं. 1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद -500 009
OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS
No.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD-500009
दूरभाष/TELE: 040-27843385 **फैक्स/FAX:040-27817275**

कार्यालय आदेश भाग 1 सं./ Pt I OO No.04 Date/ दिनांक : 09.02.2017

विषय : सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में ।

Sub : Increase in the incentive amount for doing original (noting/ drafting)official work in Hindi - Reg.

****

उपर्युक्त विषय पर रक्षा लेखा महानियंत्रक, दिल्ली छावनी के दिनांक 23 जनवरी, 2017 के पत्रांक 0746/हि0क0/रा0भा0/आदेश/परिपत्र/जि-5 के अधीन प्राप्त गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 14 सितंबर, 2016 के का.ज्ञा. सं. 12013/01/2011-रा..भा.[नीति] की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की जाती है ।

A copy of Min. of Home Affairs, Official Language Department O.M. No. 12013/01/2011-OL(Policy) dated 14th September, 2016 received under CGDA, Delhi Cantt. letter no. 0746/HC/OL/Order/Circular/Vol.V dated 23.01.2017 is enclosed herewith for information and necessary action.

हस्ता/-
[ए. विश्वेश्वर राव]
रक्षा लेखा नियंत्रक

मूलप्रति : हि0क0/2193/रा0भा/आदेश/जि-1
संवितरण : मानक सूची के अनुसार
अतिरिक्त : 5 प्रतियाँ

आर. चंद्रशेखर राव
[आर. चंद्रशेखर राव]
वरिष्ठ लेखा अधिकारी [प्रशा0]

सं. 12013/01/2011- रा. भा (नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

....

नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 बिल्डिंग,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 15 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में।

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा.(क-2) के तहत सरकारी कामकाज में मूलतः हिंदी में टिप्पण/आलेखन के लिए पहले से प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। दिनांक 30 अक्तूबर 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/01/2011-रा.भा.(नीति) का अधिक्रमण करते हुए मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय एवं केंद्रीय सरकार के किसी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में संशोधन किया गया है। जो इस प्रकार है:

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 5000/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 3000/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 2000/-

2. अब यह प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार के समस्त मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त् निकाय आदि कार्यालयों के लिए एक समान रूप से लागू होगी। राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा.(क-2) में दिये गए मार्गदर्शी सिद्धांत में उल्लिखित सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 25-07-2016 के डायरी सं0 3103736/वित्त ।।/2016 के अंतर्गत प्राप्त अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

सेवा में:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, उनसे यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा

अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में लाएं एवं की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें।

2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
4. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
6. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
7. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
9. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
10. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
11. योजना आयोग, नई दिल्ली।
12. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली।
13. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
14. संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
15. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-वाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
16. अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 34, कोटला रोड, नई दिल्ली।
17. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक (कार्यान्वयन-2 अनुभाग को 3 प्रतियों के साथ) ।
18. वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी), एनआईसी, राजभाषा विभाग ।
19. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार) ।